

मूल वद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी निवाई

उनवान

नारायण

बनाम

बाबूबाम की

दावा बाबत :- लुच्चा निर्वहण

मुकदमा नम्बर :- 15/2017

निर्णय दिनांक :- 18.5.18

वादी की ओर से

की व प्रतिवादी की ओर से

नी उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.5.18 को हरिनाम (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वाद लोड अदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है। पूर्व में दल दोहेद राखत को खबरिज किया जाता है तथा ख-नः पगप, पगप, पगप में से मुनाविके रिपोर्ट सु-अ-नि. व पदकारी हल्का निमआनुतार जै. सु. राखत दर्ज करके के सादश दिने बात है

खर्चा पक्षकारान्त अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.5.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

31/18/5/18
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, निवाई
कम और मुद्रा

वाद के खर्च

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदेशों के लिए स्टाम्प		प्लीड की फीस	
4.रूपये प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़े		जोड़े	

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर, निवाई